विज्ञापन सं. 13/2018

संघ लोक सेवा आयोग

वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है ।

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति सं0 18071301614) एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय (अनारक्षित-01) । पद स्थायी है । **वेतनमान** : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 35 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रानिक या इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री । (ii) स्वचालित माप एवं नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रानिक एवं वैद्युत उपकरणों के स्वतंत्र रूप से अधिष्ठापन, अंशशोधन एवं अनुरक्षण में तीन वर्ष का अनुभव, केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्द्धसरकारी या स्वायतशासी या सांविधिक संगठनों के स्ट्रेन गेज, ध्वनि तथा कंपन संबंधी उपकरणों आदि के रखरखाव में अनुभव **अथवा** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रानिक या इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में मास्टर डिग्री (ii) स्वचालित माप एवं नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रानिक एवं वैद्युत उपकरणों के स्वतंत्र रूप से अधिष्ठापन, अंशशोधन एवं अनुरक्षण में एक वर्ष का अनुभव, केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्द्धसरकारी या स्वायतशासी या सांविधिक संगठनों के स्ट्रेन गेज, ध्वनि तथा कंपन संबंधी उपकरणों आदि के रखरखाव में अनुभव । **टिप्पणी** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकेगी । **वांछनीय** : आई सी इंजन एवं एक्जास्ट इमीशन माप प्रणाली के लिए इन्स्ट्रूमेंटेशन में एक वर्ष का अनुभव । **कार्य** : इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रचालन / अनुरक्षण / मरम्मत / प्रापण / रख-रखाव / अंशशोधन / सर्विस / जांच के प्रति जिम्मेदार

होगें । प्रयोगशालाओं, परीक्षण रिग्स, उच्च प्रौद्योगिकी संबंधी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण / समन्वय / उन्नयन करना । विभिन्न अनुभागों के कम्प्यूटरीकरण तथा स्वचालन का समन्वय करना । **मुख्यालय** : नई दिल्ली लेकिन भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

2. (रिक्ति सं0 18071302114) एक संवेदनाहरणविज्ञानी (परिवार कल्याण), परिवार कल्याण संगठन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (डी जी ए एफ एम एस), रक्षा मंत्रालय (अनारक्षित-01) । पद स्थायी है । **वेतनमान** : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 35 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंशिएट योग्यताओं को छोड़कर) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप पूरी की हो । (iii) संवेदनाहरण विज्ञान में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल योग्यता । (iv) पोस्टग्रेजुएट डिग्री धारकों / डिप्लोमा धारकों के मामले में संवेदनाहरण विज्ञान में क्रमश: एक / तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी - I** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकेगी । **टिप्पणी - II** : अ.जा. तथा अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए आयोग के विवेकानुसार शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी -III** : भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख होगी । **कार्य** : वे परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित टुबललिगेशन शल्यक्रिया तथा किसी अन्य प्रकार के शल्य क्रिया से संबंधित सभी मामले में एनेस्थिशिया देंगे । वे शव-परीक्षण कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करेंगे । **मुख्यालय** : सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र लेकिन भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

<u>अन्य शर्तें :</u> अधिकारी को परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की चाहे जो भी हो, अनुमति नहीं होगी ।

3. (रिक्ति सं0 18071303114) एक सहायक प्रोफेसर (बालरोग विज्ञान), सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (डी जी ए एफ एम एस), रक्षा मंत्रालय (अनारक्षित-01) । पद स्थायी है । **वेतनमान** : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 45 वर्ष । **<u>अ. यो. : (क) : शैक्षिक</u>** : (i) भारत के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था से डाक्टर ऑफ मेडिसीन (बालरोग विज्ञान) की डिग्री अथवा (ii) बालरोग विज्ञान में पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात एम.डी., एम.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.पी. (कनाडा) या संबंधित बोर्ड की पूर्ण एवं समग्र अपेक्षाओं सहित एम.डी. (बालरोग विज्ञान) (यू.एस.ए.) । (iii) चिकित्सा महाविद्यालय / शिक्षण संस्थाओं में संबंधित विशेषज्ञता में रजिस्ट्रार / ट्यूटर / डिमांसट्रेटर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । **<u>टिप्पणी - I</u>** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकेगी । **<u>टिप्पणी - II</u>**: अ.जा. तथा अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए आयोग के विवेकानुसार शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **<u>टिप्पणी -III</u>**: भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख होगी । कार्य : इस पद के पदधारी, शिशु देखभाल से संबंधित क्षेत्र में अध्यापन, सेवा एवं अनुसंधान कार्यकलापों के आयोजन एवं संचालन में बालरोग विज्ञान के प्रोफेसर की सहायता करेंगे । क्षेत्रीय बालरोग विज्ञान एवं परिवार नियोजन से संबंधित कार्यों का आयोजन एवं संचालन करना । **<u>मुख्यालय</u>** : सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र लेकिन भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । **<u>अन्य शर्तें</u>** : अधिकारी को परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की चाहे जो भी हो, अनुमति नहीं होगी ।

4. (रिक्ति सं0 18071304114) छ: लेक्चरर (फार्मेसी), प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अ.जा.-01, अनारक्षित-05) । पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात अर्थात एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त है । पद अस्थायी है किन्तु लगातार चलते रहने की संभावना है । **वेतनमान** : 15,600-39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5400/- रू. (ग्रेड वेतन) + @ यथालागू मंहगाई भत्ता (संशोधन-पूर्व) । सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 35 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : (i) प्रथम श्रेणी सहित फार्मेसी में बैचलर डिग्री या (ii) प्रथम श्रेणी सहित फार्मेसी में मास्टर डिग्री या संयुक्त ग्रेड प्वाइंट औसत के अंतर्गत 6.75 से अधिक का ग्रेड प्वाइंट । (iii) फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत फार्माशिस्ट के रूप में पंजीकृत हो । (**ख) : अनुभव** : बैचलर योग्यताधारकों तथा मास्टर योग्यताधारकों के लिए क्रमश: तीन तथा एक वर्ष का अध्यापन तथा व्यावसायिक अनुभव । **टिप्पणी - I** : अर्हता नियमित कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए न कि दूरस्थ शिक्षा के द्वारा । **टिप्पणी - II** : यदि श्रेणी या डिवीजन प्रदान नहीं किया जाता है, तो कुल मिलाकर न्यूनतम 60 % अंकों को प्रथम श्रेणी या डिवीजन के समकक्ष समझा जाएगा । यदि ग्रेड प्वांइट प्रणाली अपनाई जाती है, तो संयुक्त ग्रेड प्वांइट औसत को नीचे बताये अनुसार समकक्ष अंकों में परिवर्तित कर दिया जाएगा :-

ग्रेड प्वांइट	समकक्ष प्रतिशतता
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

टिप्पणी - III : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकेगी । **टिप्पणी - IV** : अनुसूचित जातियों या जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए उनके लिए आरक्षित पदों के लिए अनुभव से संबंधित योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं, यदि

चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं होंगे । **वांछनीय** : फार्मेसी के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता के अध्ययन योजना में यथा निर्दिष्ट फार्मेसी में न्यूनतम तीन माह की अवधि वाली या एक सेमेस्टर जो प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो में साफ्टवेयर पैकेज का ज्ञान । **कार्य** : डिप्लोमा तथा पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य करना, प्रयोगशाला शिक्षण का अभिकल्प एवं विकास करना, छात्रों का आकलन एवं मूल्यांकन करना, शिक्षण में नवीनता लाना, संसाधन सामग्री का विकास करना तथा पाठ्यक्रम विकास में सहायता करना, औद्योगिक समस्याओं तथा परियोजनाओं पर अनुसंधान एवं विकास कार्य करना तथा समुदाय के लिए विस्तार सेवाओं, नियमित शिक्षा कार्यकलापों, पाठ्यक्रम संबंधी तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना, विभागीय प्रशासन संबंधी कार्य में सहायता करना । **मुख्यालय** : प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

5. (रिक्ति सं0 18071305214) दो संयुक्त निदेशक (मात्स्यिकी), मात्स्यिकी निदेशालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (अनारक्षित-02) । पद स्थायी है । **वेतनमान** : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 40 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मात्स्यिकी विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मात्स्यिकी विज्ञान में विशेषज्ञता सहित प्राणिविज्ञान / समुद्री जीवविज्ञान में एम.एससी. । **(ख) : अनुभव** : अंर्देशीय समुद्री मात्स्यिकी संगठन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** : मात्स्यिकी में विशेषज्ञता सहित पीएच.डी. । **टिप्पणी** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकेगी । **कार्य** : प्रशासनिक और तकनीकी मामलों में निदेशक, मात्स्यिकी की सहायता करना और उनके नियंत्रणाधीन कार्य पर लागए गए सभी क्षेत्रीय स्टाफ का पर्यवेक्षण करना । समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना । **मुख्यालय** : पोर्ट ब्लेयर लेकिन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

6. (रिक्ति सं0 18071306614) एक परियोजना प्रबंधक (तकनीकी), जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (अनारक्षित-01) । पद स्थायी है । **वेतनमान** : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 35 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रानिकी तथा संचार इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरी में बी.ई. / बी.टेक. **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रानिकी तथा संचार इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरी में एम.ई. / एम.टेक. । **ख : अनुभव** : (i) बी.ई. / बी.टेक. धारकों के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन एवं विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन प्रशिक्षण क्रेडिट एडवाईजरी के माध्यम से तथा उद्यमियों को अन्य सपोर्ट सर्विस प्रदान करने के लिए किसी सरकारी विभाग / स्वायतशासी / सांविधिक निकायों / वित्तीय संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कारपोरेट निकायों या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निजी संगठनों में तीन वर्ष का अनुभव । (ii) एम.ई. / एम.टेक. धारकों के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन एवं विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन प्रशिक्षण क्रेडिट एडवाईजरी के माध्यम से तथा उद्यमियों को अन्य सपोर्ट सर्विस प्रदान करने के लिए किसी सरकारी विभाग / स्वायतशासी / सांविधिक निकायों / वित्तीय संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कारपोरेट निकायों या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निजी संगठनों में एक वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री । **टिप्पणी** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकेगी । **कार्य** : (i) साफ्टवेयर साल्यूशन का अभिकल्प, विकास एवं उन्हें अधिष्ठाचित करना । (ii) सुअभिकल्पित टिकाऊ सक्षम कोड को लिखने हेतु साफ्टवेयर के विकास के लिए पूर्ण चक्र को निष्पादित करना । (iii) दस्तावेज तैयार करना और साफ्टवेयर की कार्यात्मकता का अनुरक्षण करना । (iv) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का संवर्धन करना । (v) सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन संबंधी प्रशिक्षण एवं सपोर्ट मुहैया कराना । **मुख्यालय** : पोर्ट ब्लेयर लेकिन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

महत्वपूर्ण
ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 02.08.2018 को 23.59 बजे तक है । **पूर्ण रूप से भर कर ऑन लाइन जमा किए गए ओ.आर.ए. आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेने की अंतिम तारीख 03.08.2018 को 23.59 बजे तक है ।**
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारण करने की अंतिम तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र **(ओ.आर.ए.)** जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कम्प्यूटर आधारित लघु सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है । साक्षात्कार की तारीख जिस दिन लघु सूची में शामिल उम्मीदवारों को अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ-साथ अन्य दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करने के लिए लाने हैं, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी ।

टिप्पणी :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को **न** लिखें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले नीचे प्रकाशित पदों के विवरण, अनुदेशों तथा वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

ख) सभी मदों के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट है । अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी जो रियायत है, उसके लिए आवेदक कृपया आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित "चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें ।

(ग) उम्मीदवार को सामुदायिक आरक्षण के लाभ का पात्र केवल तभी माना जाएगा यदि उम्मीदवार जिस जाति से संबंधित है उसे केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो । यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में अपनी श्रेणी को बदलने का अनुरोध करता / करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) अथवा अशक्त उम्मीदवार जैसाकि रिक्तियों के विवरण में विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाया गया है, उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं लेकिन उपयुक्त समझे गए हैं । तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा । कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने का पात्र माना जाएगा, जैसाकि नियमों के अंतर्गत अनुमेय है । अत: शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होगीं जब शारीरिक अशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों ।

(ड़) **मुख्यालय** : कुछेक पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित निर्दिष्ट स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

(च) **परिवीक्षा** : चुने गए व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।